न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

राजस्व अपील संख्या :– 53/2012

1. पदमसिंह पुत्र रामचंद
2. प्रताप पुत्र रामचंद

} जाति जाट निवासी ग्राम बांसी बिरहना तह. व जिला भरतपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र मंगी
2. मोहनसिंह पुत्र मंगी
3. मिट्ठू पुत्र नत्थी (मृतक)
   3/1. रमेश पुत्र मिट्ठू
4. राजपाल पुत्र मानकचंद
5. गोपाल पुत्र मानकचंद
6. विजयपाल पुत्र मानकचंद
7. मुकेश पुत्र प्रेम
8. रामसिंह पुत्र प्रेम
9. चन्द्रवती पत्नी प्रेम
10. सुरेशचंद पुत्र फूलचंद
11. अर्जुन पुत्र फूलचंद
12. गोरेलाल पुत्र फूलचंद
13. राजवीर पुत्र फूलचंद
14. संजय पुत्र फूलचंद
15. बहादुर पुत्र कन्हैया
16. नाहरसिंह पुत्र कन्हैया
17. उत्तमसिंह पुत्र कन्हैया
18. माया बेवा कन्हैया (मृतक)
19. रामकिशन पुत्र तुल्ला
20. महावीर पुत्र बाबू
21. जगवीर पुत्र बाबू
22. चेतेन्द्र पुत्र बाबू
23. लोकेन्द्र पुत्र बाबू
24. शिवदेई पत्नी विजेन्द्र

} समस्त जाति जाटव निवासी ग्राम बांसी बिरहना तहसील व जिला भरतपुर।

..... रेस्पोन्डेण्ट

Scanned by CamScanner

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 30.08.2012 न्यायालय तहसीलदार, भरतपुर

निर्णय

दिनांकः— 20—06—2019

अपीलाण्ट के द्वारा विरुद्ध रेस्पोंडेण्टान अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 30.08.2012 द्वारा तहसीलदार भरतपुर वमुकदमा प्रा0पत्र धारा 183(बी) आर0टी0ए0 प्रकरण सं0 1/2010 उनवानी राधेश्याम वगै0 बनाम पदमसिंह वगै0 की बावत इस प्रकार प्रस्तुत की गई है कि विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 588/0.06, 589/0.07, 591/0.02, 592/0.01, 593/0.01, 594/0.19, 595/0.04 किता 7 रकबा 0.40 हैक्टेयर ग्राम बांसी बिरहना तह0 भरतपुर साविक खसरा नंबर 575 गैर मुमकिन चाह का नंबर है। जिसमें पहले चार लाव का कुंआ था। उक्त खसरा नंबर 575 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा ग्राम बांसी बिरहना अपीलाण्ट के पूर्वजों की मिल्कियत खेवट का नंबर है, जिस पर अपीलाण्ट के पिता रामचंद व रामजीलाल वहैसियत मालिक खुद काश्त काबिज रहे हैं और संवत 2015 में भी उक्त रामचंद व रामजीलाल खुद काश्त की हैसियत से काबिज रहे हैं। सन् 1959 में जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन कानून लागू होने पर मुताबिक धारा 29 रामचंद व रामजीलाल को बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हकूक खातेदारी प्राप्त हो गये थे। जब तक वे जीवित रहे, वहैसियत खातेदार काबिज रहे। उनकी मृत्यु के बाद अपीलाण्ट वहैसियत खातेदार काबिज हैं और मौके पर आज भी अपीलाण्ट का कब्जा है, मगर इन्द्राज बिना किसी आधार के रेस्पोंडेण्ट के नाम हाल जमाबंदी में अंकित हो जाने से उनके द्वारा गलत वाकियात के साथ प्रा0पत्र धारा 183 (बी) तहसीलदार भरतपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिस पर न तो तहसीलदार भरतपुर ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का उल्लेख किया और

Scanned by CamScanner

न ही संबंधित कानून का अध्ययन किया और मनमाने तरीके पर आदेश जैर अपील खिलाफ कानून पारित कर दिया है, जो निरस्त होने योग्य है।

विवादित आराजी पर अपीलाण्ट का पचासों वर्ष पूर्व का कब्जा रहा है। रेस्पोंडेण्ट का कभी भी कब्जा नहीं रहा। अपीलाण्ट के मकान, गैत, चक्की, मंदिर पचासों वर्ष पुराने बने हुए हैं, जिसकी ताइद पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से एवं अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत गवाहान से हो रही है।

रेस्पोंडेण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह साबित करने में असमर्थ रहे हैं कि उक्त आराजी उनको कहां से और कैसे प्राप्त हुई तथा साविक खसरा नंबर 575 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा था जिसमें हाल रकबा 0.40 हैक्टेयर कैसे बना। विवादित हाल खसरा नंबरान का रकबा 0.40 हैक्टेयर है, जो ढाई बीघा रकबा होता है, जिसमें मकान, चक्की, गैत, मंदिर आदि 1 या 2 दिन में नहीं बन सकते। इनके निर्माण में वर्षों लगे हैं, मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि रेस्पोंडेण्ट प्रार्थियान ने 2010 में अपीलाण्ट के विरुद्ध कार्यवाही की है। यदि उनका पूर्व में कभी कब्जा रहा होता और अपीलाण्ट रेस्पोंडेण्ट को जबरन बेदखल कर निर्माण करते तो क्या रेस्पोंडेण्ट उसी समय कोई कार्यवाही नहीं करते। रेस्पोंडेण्ट का कभी विवादित आराजी पर कब्जा नहीं रहा और उनके इन्द्राज भी गलत दर्ज हो गये हैं। रिपोर्ट पटवारी के मुताबिक हाल खसरा नंबर 889/0.07 पर अजयपाल वगै0 का कब्जा है, जिसे रेस्पोंडेण्टान द्वारा पक्षकार भी नहीं बनाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कब्जे व टाइटल के विधि अनुसार जांच किये बिना पारित किया गया आदेश गलत है। अपीलाण्ट की ओर से सिविल कोर्ट में विवादित भूमि व संपत्ति बावत दावा भी प्रस्तुत कर रखा है।

इस प्रकार अपीलाण्ट के द्वारा अपील प्रस्तुत कर आदेश दिनांक 30.08.2012 न्यायालय तहसीलदार भरतपुर निरस्त करने का निवेदन किया है।

Scanned by CamScanner

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेण्टान की तलवी जरिये नोटिस की गई। तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई जो संलग्न है।

तत्पश्चात पत्रावली बहस अंतिम में नियत की गई। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। अपील में गुणावगुण पर बहस करने से पूर्व अधिवक्ता रेस्पोंडेण्ट ने दि0 13.09.2012 को प्रस्तुत की गई आपत्ति पर बहस की। अधिवक्ता अपीलाण्ट द्वारा निवेदन किया कि तहत अदालत की पत्रावली आ चुकी है। प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही बकाया नहीं है। इसलिए आपत्ति पर बहस नहीं सुनकर अंतिम बहस सुनी जावे। गौर किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि रेस्पोंडेण्ट की तलवी हो चुकी है, तहत अदालत की पत्रावली तलब हो गई है। पत्रावली बहस अंतिम की स्टेज पर है। तथ्य व परिस्थितियों को देखते हुए प्राथमिक आपत्ति दि0 13.09.2012 खारिज की जाती है।

तत्पश्चात बहस अंतिम सुनी गई। अपीलांट का तर्क है कि विवादित आराजी खसरा नंबरान 588, 589, 591, 592, 593, 594, 595 किता 07 रकबा 0.40 हैक्टेयर वाके ग्राम बांसी बिरहना में स्थित है जो साविक खसरा नंबर 575 गैर मुमकिन चाह का नंबर है। अपीलाण्ट की मिल्कियत व खेवट का नंबर है। खुद काश्त की आराजी रही है। संवत 2015 में भी रामचंद व रामजीलाल खुद काश्त की हैसियत से काबिज रहे हैं। जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन की धारा 29 के अनुसार खातेदारी अधिकार कानूनन प्राप्त हो चुके हैं। मौके पर आज भी अपीलाण्ट का कब्जा है। मगर इन्द्राज रेस्पोंडेण्ट के नाम हो गये हैं जो गलत हैं। तहत अदालत ने मियाद के बिंदु पर भी कोई गौर नहीं किया है। आराजी में अपीलाण्ट के मकान, चक्की, गैत, मंदिर वर्षों पुराने बने हुए हैं, लेकिन इन तथ्यों पर गौर न कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो गलत है। उपरोक्त तथ्यों की बावत पत्रावली का अवलोकन करने से यह तथ्य सामने आता है कि संवत 2011–2015 में उक्त आराजी साविक खसरा

Scanned by CamScanner

नंबर 575 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा पर खुद काश्त रामचंद व रामजीलाल के इन्द्राज दर्ज हैं। मिलान क्षेत्रफल से उक्त साविक खसरा नंबर से हाल रकबा किता 7 रकबा 40 एयर बनना प्रमाणित है। हलका पटवारी द्वारा दि0 06.08.2010 को मौका पर्चा बनाया है, जिसमें अपीलाण्ट का कब्जा आराजी पर दर्शित किया है।

पत्रावली के अवलोकन से यह जाहिर है कि अपीलाण्ट व रेस्पोंडेण्ट के मध्य खातेदारी अधिकारों की बावत उपरोक्त आराजी पर मुकदमा उनवानी पदमसिंह बनाम राधेश्याम न्यायालय सहा0 कलक्टर भरतपुर के समक्ष विचाराधीन है जिसमें खातेदारी अधिकारों का निस्तारण साक्ष्य व सबूतों व गुणावगुण के आधार पर होना है। तहसीलदार भरतपुर द्वारा इस संक्षिप्त कार्यवाही में अपीलाण्ट को बेदखल करने के आदेश दिये हैं, वह विधिसम्मत नहीं है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आज्ञा है कि –

अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है। न्यायालय तहसीलदार भरतपुर का आदेश दि0 30.08.2012 अपास्त किया जाता है। तहत न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Scanned by CamScanner